सूचना

विषय: सीआईएल द्वारा अनुमोदित एनसीडीपी के तहत सीपीपी के आश्वासन पत्र (एलओए) में बदलाव।

दिनांक 2.02.2010 के *CIL/CMO/47252(New Pol)/93 के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक* ने सीपीपी उपभोक्ताओं के लिए निम्न रूप से 9, 10 और 11 माइलस्टोन्स संशोधन किया है:

मद	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
संख्या 9	18 महीनों में आगे बढ़ते कार्य	24 महीनों के भीतर
मुख्य संयंत्र और	आदेश/अनुबंध के लिए सूचना	1. मदर प्लांट के लिए आगे
उपकरण की प्रक्रिया के लिए		बढ़ते कार्य आदेश/अनुबंध के
सूचना		लिए सूचना
		2. इंड यूज प्लांट के लिए आगे
		बढ़ते कार्य आदेश/अनुबंध के
		लिए सूचना
संख्या10	24 महीनों के भीतर	-
एंड-यूज संयंत्र की शुरुआत		
संख्या 11	24 महीनों के भीतर	-
सीपीपी की शुरुआत		

एन.बी.- एफएसए की एक "पूर्ववर्ती शर्त" होगी जो मदर प्लांट संयंत्र/एण्ड यूज संयंत्र है जो एफएसए के तहत कोयले के आहरण से पहले एक चार्टर्ड इंजीनियर/ईपीसी ठेकेदार द्वारा प्रमाणित कमीशनिंग के लिए तैयार होंगे। के रूप में कमीशन के लिए तैयार होगा ।

सभी संबंधितों को सूचनार्थ।

उप मुख्य विक्रय प्रबंधक